राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब/एल/2017–18/322

दिनांक :– 20.03.2017

पड़त देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की सूचना

1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017–18 हेतु राज्य के निम्नांकित जिलों में देशी मदिरा समूहों/दुकानो के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन प्राप्त नही हुए है, उन देशी मदिरा समूहों/दुकानो के वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है :–

क. सं.	नाम जिला	पडत समूहों की संख्या	क.सं.	नाम जिला	पडत समूहों की संख्या
1	जयपुर शहर	15	2	अजमेर	14
3	जोधपुर	01	4	श्रीगंगानगर	21

2 पडत रही देशी मदिरा समूहों/दुकानो की सूची/विस्तृत विवरण विभागीय वेब्रसाईट **https://www. rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

3 **समस्त आवेदन ऑनलाईन ही वेबसाइट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in द्वारा स्वीकार किये जाएँगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नही किये जायेगे। आवेदक को सर्वप्रथम, उक्त वेबसाइट पर उपलबध समस्त दिशा–निर्देश एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।**

4 **आवेदन कम्प्यूटर/लैपटॉप को इन्टरनेट से जोड़ कर घर, कार्यालय, ई–मित्र सेन्टर तथा साइबर कैफे से (Round the Clock) भरे जा सकते है।**

5 **एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/दुकान समूह आवंटित नही किये जायेगें।** यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकानो/दुकान समूहो हेतु आवेदन करता है तथा एक से अधिक दुकान/दुकान समूह हेतु उसका चयन हो जाता है तो उसे वह दुकान/दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसके लिए सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हो। दुकान/दुकान समूह हेतु समान संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को वह दुकाने/दुकान समूह आवंटित किये जायेगे जिसकी वार्षिक राशि अधिक हो।

6 इस सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध समूहों/दुकानों बाबत सूचना एवं समूहों/दुकानों की सूची विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** पर उपलब्ध है।

7 **ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट https://www.rajexciseapplication2017-18.org एवं https://rajexcise.gov.in पर दिनांक 21.03.2017 से 24.03.2017 को रात्रि 12.00 पीएम तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिक समाप्त हो जायेगा।**

8 **जिस दुकान/दुकानों समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है उस दुकान/दुकान समूह की निर्धारित वार्षिक राशि की 1 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा जो आवेदक के पक्ष में स्वीकृति जारी होने पर धरोहर राशि पेटे समायोजन की जा सकेगी।**

9 आवेदक द्वारा एक जिले में एक से अधिक दुकानों हेतु आवेदन करने पर उस जिले की अधिकतम अमानत राशि वाली समूह की अमानत राशि के बराबर एक बारीय (One time) अमानत राशि जमा कराई जावेगी। आवेदक इस जमा अमानत राशि के आधार पर उस जिले में प्रत्येक आवेदन पर उस दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। इस प्रकार एक समूह के लिये एक से अधिक आवेदन अथवा अलग–अलग समूह के लिये एक एवं एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेगे। प्रत्येक आवेदन के लिये जमा कराया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non refundable) होगा।

10 अलग–अलग जिलों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित जिले की अधिकतम अमानत राशि वाले समूह की अमानत राशि के बराबर अमानत राशि जमा कराने पर ही सम्बन्धित जिले में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आवेदन मान्य होगा।

11 जिले में एक आवेदक द्वारा किसी एक समूह के लिये एक ही आवेदन किया जाता है तो उसे सम्बन्धित समूह के लिए निर्धारित अमानत राशि ही जमा करानी होगी।

12 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि इन्टरनेट बैंकिंग/ई–ग्रास चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0–55 रसीद के माध्यम से जमा कराये जा सकते है।

13 ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उक्त विभागीय साईट से आवेदक को आवेदन पत्र का A4 साईज के 70 जी.एस.एम. (GSM) के सादे कागज पर प्रिन्ट लिया जायेगा।

14 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का इन्टरनेट बैंकिंग से ऑनलाईन भुगतान करने वाले आवेदको के अलावा अन्य सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन के पश्चात उसकी प्रिन्टेड़ कॉपी को दिनांक **25.03.2017** को 6.00 पीएम तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0–55 रसीद संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य अथवा विशेष परिस्थिति में उक्त प्रिन्टेड़ कॉपी प्रस्तुत करने की उपरोक्त निर्धारित समय सीमा में छूट दी जा सकेगी।

15 इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ आवेदक की पहचान स्वरूप ड्राईविंग लाईसेन्स/ आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड/निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो आइडेन्टिटी कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि में से **किसी एक दस्तावेज की स्वः प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।**

16 किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 27–3–2017 को प्रातः 11.00 बजे** संबंधित जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी।

17 देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदाय योग्य) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

क.सं	श्रेणी	आवेदन शुल्क रूपये में
1	वर्ष 2017–18 के लिये 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	16000
2	वर्ष 2017–18 के लिये 10 लाख रूपये से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह	21000

18 जिन आवेदन पत्रो के साथ आवेदन शुल्क, निर्धारित अर्नेस्टमनी एवं पहचान का प्रमाण संलग्न नही किया गया है उनको लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावेगा।

19 आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2017–18 (दिनांक 1–4–2017 से दिनांक 31–3–2018) के लिये होगी। वर्ष 2017–18 के अनुज्ञाधारियों को स्वीकृत अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2018–19 (दिनांक 1–4–2018 से दिनांक 31–3–2019) के लिये निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत नवीनीकरण का विकल्प दिया जायेगा।

20 आवेदन आमत्रंण के सम्बन्ध में अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

sd/-
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान,उदयपुर